

हरिसत में यातना

प्रलिमिस के लिये:

मौलिक अधिकार, भारतीय दंड संहति, दंड प्रकरण संहति

मेन्स के लिये:

हरिसत में यातना और हरिसत में मौत के कारण, पुलसि प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी और पूछताछ, [हरिसत में मौत](#) से बचाव के उपाय

चर्चा में क्यों?


हाल ही में दो पुलसि अधिकारियों को पुलसि हरिसत में अभियुक्तों को प्रताड़ित करने, [हरिसत में यातना \(हसि\)](#) देने के आरोप में नलिंबनि कथा गया है।

हरिसत में यातना (हसि):

- परचियः
 - हरिसत में यातना से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्तिकोशारीकि या मानसकि यातना या पीड़ा देना है जो पुलसि या अन्य अधिकारियों की हरिसत में है।
 - यह [मानवाधिकारों](#) और गरमि का गंभीर उल्लंघन है तथा अक्सर यह [हरिसत में होने वाली मौत](#), जो कसी व्यक्तिकी हरिसत के दौरान होती है, का कारण भी बनता है।
- हरिसत में मौत के प्रकार:
 - पुलसि हरिसत में मौत:
 - पुलसि हरिसत में मौत अत्यधिक बल, यातना, चकितिसा देखभाल से इनकार या अन्य प्रकार के दुरव्यवहार के परणिमस्वरूप हो सकती है।
 - न्यायकि हरिसत में मौत :
 - अत्यधिक भीड़भाड़, अपर्याप्त स्वच्छता, चकितिसा सुविधाओं का अभाव, कैदी हसि या आत्महत्या न्यायकि हरिसत में मौत के कारण हो सकते हैं।
 - सैन्यबलों या अर्द्धसैनकि बलों की हरिसत में मौत :
 - यह यातना, असामान्य हत्याओं, मुठभेड़ या गोलीबारी की घटनाओं के माध्यम से हो सकता है।
 - भारत में हरिसत में मौतः
 - गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, वर्ष 2017-2018 की अवधि में पुलसि हरिसत में मौत के कुल 146 मामले पाए गए, जबकि:
 - वर्ष 2018-2019 में 136
 - वर्ष 2019-2020 में 112
 - वर्ष 2020-2021 में 100
 - वर्ष 2021-2022 में 175
 - पछिले पाँच वर्षों में हरिसत में सबसे अधिक (80) मौतें गुजरात में दर्ज की गई हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (76), उत्तर प्रदेश (41), तमिलनाडु (40) और बहिर (38) का स्थान है।

STATES WITH HIGHEST CUSTODIAL DEATHS

■ 2017-18 ■ 2018-19 ■ 2019-20 ■ 2020-21 ■ 2021-22



- भारत में हरिसत अवधि में अत्याचार को रोकने में चुनौतियाँ:
 - अत्याचार और अन्य करूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा (UNCAT) के विद्युत संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसमर्थन का अभाव, जिस पर भारत ने वर्ष 1997 में हस्ताक्षर किये थे लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
 - यह भारत को हरिसत में यातना को रोकने और विरोध करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय दायतिवाँ और मानकों द्वारा बाध्य होने से रोकता है।

हरिसत में यातना संबंधी संवैधानिकि तथा कानूनी ढाँचा:

- संवैधानिकि प्रावधान:
 - भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना तथा अन्य करूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
 - अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्तिको तब तक किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कउसने ऐसा कार्य करते समय, जो कि अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है इस प्रकार यह कानून अपराध से संबंधित कानूनी रूप से उल्लिखित सजा से अधिकी की सजा पर रोक लगाता है।
 - अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, किसी को भी अपने विद्युत गवाही देने हेतु विश नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही उपयोगी नियम है क्योंकि यह अभियुक्तों के कबूलनामे, जब उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर या प्रताङ्गति किया जाता है, पर रोक लगता है।
- कानूनी सुरक्षा:
 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 में यह घोषित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा जाँच एजेंसियों की धमकी, वादे या प्रलोभन के कारण दिये गए सभी इकबालिया बयान कानून की अदालत में स्वीकार्य नहीं होंगे। यह धारा मुख्य रूप से अभियुक्त को उसकी इच्छा के विद्युत संस्वीकृत दिने से रोकने का काम करती है।
 - भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 330 और 331 के तहत जब कोई संपत्ति हिड़पने के इरादे से किसी व्यक्तिको चोट पहुँचाता है या उस व्यक्तिको अवैध कार्य करने के लिये प्रेरणा करता है तो उसे दंडित किया जाता है।
 - आपराधिकि प्रकरणि संहिता (CrPC) की धारा 41 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया और इसमें सुरक्षा उपाय शामिल किये गए ताकि पूछताछ के लिये गरिफ्तारी एवं हरिसत हेतु उचित आधार एवं दस्तावेज़ी प्रकरणियों का पालन किया जाए, गरिफ्तारी को परवार, दोस्तों एवं आम जनता के लिये पारदर्शी बनाया जा सके तथा कानून के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाए।

मानवाधिकारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, 1948:
 - अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना और जबरन गायब करने से बचाता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945:
 - संयुक्त राष्ट्र चार्टर कैदियों के साथ गरमापूर्ण व्यवहार करने का आहवान करता है। चार्टर में सप्तरूप से कहा गया है कि कैदी होने के बावजूद उनकी मौलिकि स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिकि तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध व आर्थिकि, सामाजिकि और सांस्कृतिकि अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में निर्धारित हैं।

- नेल्सन मंडेला नथिम, 2015:
 - नेल्सन मंडेला नथिमों को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा वर्ष 2015 में कैदियों से सम्मान के साथ व्यवहार करने और यातना एवं अन्य दुरव्यवहार को प्रतबिधित करने हेतु अपनाया गया था।

हरिसत में यातना से नपिटने संबंधी उपाय:

- कानूनी प्रणालियों को मजबूत बनाना:
 - ऐसे कानून पारित करना जो हरिसत में यातना का अपराधीकरण करता हो।
 - हरिसत में प्रताङ्गना के आरोपों की त्वरति और नष्टिक्षण जाँच सुनिश्चित करना।
 - नष्टिक्षण और त्वरति सुनवाई के माध्यम से अपराधियों को जवाबदेह ठहराना।
- पुलसि सुधार और संवेदीकरण:
 - मानवाधिकारों और गरमियों के सम्मान पर ज़ोर देने हेतु पुलसि प्रशक्तिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना।
 - कानून प्रवरतन एजेंसियों के भीतर जवाबदेही, व्यावसायिकता और सहानुभूतिकी संस्कृतिको बढ़ावा देना।
 - हरिसत में प्रताङ्गना के मामलों की प्रभावी ढंग से निगरानी और समाधान करने हेतु नरीक्षण तंत्र स्थापित करना।
- नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों को सशक्त बनाना:
 - नागरिक समाज संगठनों को हरिसत में यातना के पीड़ितों की सक्रिय रूप से वकालत करने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - पीड़ितों और उनके परविरों को सहायता एवं कानूनी सहायता प्रदान करना।
 - नविकारण और न्याय के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों एवं संगठनों के साथ सहयोग करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकितवों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानव अधिकार मानकों की परोन्नति और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका तथा अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/custodial-torture-1>